



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2012/फाल्गुन 22, 1933

No. 62]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2012/PHALGUNA 22, 1933

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 24 फरवरी, 2012

सं. जिप/डीआईआर/गजट-संशोधन.—जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुदुच्चेरी केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से (कृपया दिनांक 12-8-2011 का पत्र सं. F. No. A. 12034/17/2010-ME-III देखें) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 2008 (19 धारा 30) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियम 40(2) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं। ये विनियम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2010 कहे जाएंगे :—

1. (1) ये विनियम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2011 पढ़े जाएंगे।

(2) ये दिनांक 4-8-2008 से प्रभावी होंगे।

2. इस जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2010 में

40(2) विनियम में, निम्नलिखित उपबंध शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

“यह उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसकी सेवावधि बढ़ाई गई हो।”

संस्थान के प्राधिकार से,

डॉ. टी. एस. रविकुमार, निदेशक, जिपमेर

[विज्ञापन III/4/330-जी/11-असा.]

टिप्पण : जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2010, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 को जारी किया गया है।

JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH**NOTIFICATION**

Puducherry, the 24th February, 2012

No. JIP/Dir/Gazette-Amendment.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, with the previous approval of the Central Government (*vide* Letter No. F. No. A. 12034/17/2010-ME-III dated 12-8-2011), hereby makes the following regulations further to amend the Regulations 40(2) of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, (Amendment) Regulations, 2010, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, (Amendment) Regulations, 2011.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 4-8-2008.
2. In the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (Amendment) Regulations, 2010.

In regulation 40(2), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that this provision shall not apply in the case of a person who is on extension in service”.

By the Authority of the Institute,

Dr. T. S. RAVIKUMAR, Director, JIPMER

[ADVT. III/4/330-G/11/Exty.]

Note : The principal regulation of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (Amendment) Regulations, 2010 was issued on 17th September, 2010.